

**कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर—द्वितीय**

क्रमांक : स्था0 / 460 / 2022 / 3209

दिनांक : 10/06/2022

**—:: आदेश ::—**

श्री अरविन्द कुमार सक्सैना, लिपिक ग्रेड-II, जो इस न्यायक्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-07, जयपुर महानगर—द्वितीय में पदस्थापित है, को शेट्टी कमीशन के अन्तर्गत इनके कनिष्ठतम कर्मचारी को दी गई पदोन्नति के लाभ के अनुसार दिनांक 01.10.2013 से लिपिक ग्रेड-II से रीडर/शेरिस्टेदार ग्रेड-III/लिपिक ग्रेड-I के पद पर एतद्वारा वरीयता सह योग्यता के आधार पर विभागीय पदोन्नति की अनुशंसा के आधार पर प्रथम पदोन्नति दी जाती है।

उपरोक्त पदोन्नति के तहत श्री सक्सैना को प्रथम पदोन्नति (दिनांक 01.10.2013 से लगातार) पर पीबी-1 रनिंग पे बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे-2800/- एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.13(1) / एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 09.12.2017 के तहत नियमानुसार पे-मैट्रिक्स में लेवल एल-8 के अनुसार वेतन स्वीकृत किया जाता है।

**नोट :-**

1. श्री सक्सैना की अधिवर्षीता आयु 60 वर्ष होने पर उन्हें दिनांक 30.06.2022 को कार्यालय समय पश्चात् से सेवानिवृत्त/सेवामुक्त किया जाना है। अतः उक्त प्रथम पदोन्नति से संबंधित समस्त वित्तीय लाभ शेट्टी कमीशन के अनुसार पदोन्नति दिनांक से नकद देय होंगे।
2. उपरोक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में किया जावे।
3. उक्त कर्मचारी के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

50/-  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जयपुर महानगर—द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 460 / 2022 / 3210

दिनांक : 10/06/2022

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर—द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर
03. संबंधित न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-07, जयपुर महानगर—द्वितीय।
04. संबंधित कर्मचारी श्री अरविन्द कुमार सक्सैना।
05. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. निजी पत्रावली
07. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जयपुर महानगर—द्वितीय

31/06/2022